प्रेस-विज्ञप्ति
थाना मेंहनाजपुर
आवास आवंटन के लिए हुयी बैठक में गोली मारकर हत्या व घायल करने वाला अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 24.01.2023 को वादी प्रेम कुमार सिंह पुत्र अमरनाथ सिंह निवासी जामुडीह भवरपुर थाना तरवां द्वारा तहरीर दिया गया कि ग्राम पंचायत सचिव प्रदीप कुमार द्वारा ग्राम पंचायत दक्षिण का पूरा थाना मेहनाजपुर में पंचायत भवन में आवास आवंटन को लेकर एक खुली बैठक रखी गई थी। बैठक में गांव के कई लोग मौजूद थे विपक्षी शिव शंकर सिंह उर्फ (पूर्व प्रधान) निवासी मेहनाजपुर, जितेंद्र यादव, बब्बू सिंह, सोनू सिंह इत्यादि द्वारा अपात्र को आवास आवंटन कराने के लिए दबाव बनाया गया। जिसका विरोध प्रदीप सिंह उर्फ भीम और हिमांशु सिंह इत्यादि द्वारा किये जाने पर विपक्षी शिवशंकर सिंह इत्यादि द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नियत से हिमांशु सिंह को गोली मार दी गई तथा प्रदीप सिंह, सवेन्दू सिंह ऊर्फ मुन्ना को जांघ में गोली लग गई जिससे वह घायल हो गये।

उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना मेंहनाजपुर पर मुं.अ.सं. 15/23 धारा 34/302/307/427/506 भादवि व 7 दंड विधि संसोधन अधिनियम 2013 बनाम शिवशंकर सिंह उर्फ घूरे (पूर्व प्रधान), जितेंद्र यादव, बब्बू सिंह उर्फ विजय सिंह, सोनू सिंह के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक-25.01.2023 को थाना प्रभारी मेंहनाजपुर सुनील दुबे मय हमराह को सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जितेन्द्र यादव पुत्र सरजू यादव निवासी औड़िहार, सैदपुर, जनपद गाजीपुर को रोडवेज आजमगढ़ के पिछले गेट के पास से समय 05.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त जितेन्द्र यादव ने बताया कि उपरोक्त घटना में प्रयुक्त आला कत्ल बेला कलीचपुर में छिपा कर रखा हुँ। थाना प्रभारी मय हमराह द्वारा अभियुक्त के बताये गये स्थान पर बेला कलीचपुर पहुँचकर आलाकत्ल की खोजबीन के दौरान अभियुक्त जितेन्द्र यादव द्वारा पहले से ही रखे लोडेड देशी तमंचा .315 बोर से पुलिस पर फायर किया गया, पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गयी जिसमें अभियुक्त जितेन्द्र यादव के दाहिने पैर में गोली लगी है, घायल बदमाश को समय सुबह लगभग 07.26 बजे गिरफ्तार किया गया तथा इलाज हेतु सीएचसी मेंहनाजपुर भेजा गया।

➡अभियुक्त के कब्जे से घटना प्रयुक्त आलाकत्ल 01 डीबीबीएल .12 बोर, 01 जिन्दा कारतूस, 01 देशी तमंचा, 01 खोखा व 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया।

➡गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0- 16/23 धारा 307/224 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।**

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0- 16/23 धारा 307/224 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनाजपुर आजमगढ़ ।

1. मु0अ0सं0-15/23 धारा 34,302,307,427,506, भादवि 7 सीएलए एक्ट थाना मेहनाजपुर आजमगढ़

अपराधिक इतिहास :

1. मु0अ0सं0-15/23 धारा 34,302,307,427,506, भादवि 7 सीएलए एक्ट थाना मेहनाजपुर आजमगढ़

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त-

1. जितेन्द्र यादव पुत्र स्व0 सरजू यादव निवासी औड़ीहार थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर (पुलिस मुठभेड़ में घायल)

बरामदगी-

1- अभियुक्त जितेन्द्र यादव के पास से एक लाइसेंसी DBBL गन

2- एक अदद देशी तमंचा .315 बोर, 03 अदद मिस जिन्दा कारतूस .315 बोर, एक खोखा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम:

1-.थानाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

02. सूर्यवंश यादव थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

03. उ0नि0 रमेश सिंह थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

04.का0 विकास पाण्डेय थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

05.का0 अनीसुद्दीन थाना मेहनाजपुर आजमगढ़

06 का0 अजय यादव थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

07.का0 अंकित वर्मा थाना मेहनाजपुर आजमगढ़

08. का0 नीरज यादव थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

09 का0 सोनू कुमार थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़